

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय

प्रलम्ब के लिये:

सामाजिक सुरक्षा

मेन्स के लिये:

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा उपाय और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रम संबंधी [संसदीय स्थायी समिति](#) ने बढ़ती बेरोज़गारी और नौकरी छूटने पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर एक रपॉर्ट जारी की है।

- पैनल ने सरकार से सामाजिक सुरक्षा उपायों में सुधार करने और [धन के प्रत्यक्ष हस्तांतरण](#) तथा अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिये [शहरी रोज़गार गारंटी योजना](#) जैसे उपाय करने का आह्वान किया।

सामाजिक सुरक्षा

- [अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन](#) (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण है जिससे वंचितों को रोकने, व्यक्तियों को एक न्यूनतम न्यूनतम आय का आश्वासन देने और किसी भी अनिश्चितता से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।
- इसमें दो तत्व भी शामिल हैं, अर्थात्:
 - भोजन, कपड़े, आवास और चिकित्सा देखभाल तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वास्थ्य व कल्याण के लिये पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार।
 - [आय का अधिकार](#) किसी भी व्यक्तियों के न्यूनतम से परे परिस्थितियों में बेरोज़गारी, बीमारी, दवियांगता, वधवापन, वृद्धावस्था या आजीविका की अन्य की स्थिति में सुरक्षा।

प्रमुख बड़ी:

सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:

- [आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण](#) (PLFS) का हवाला देते हुए रपॉर्ट में कहा गया है कि 90% श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में थे, जो कि 465 मिलियन श्रमिकों में से 419 मिलियन हैं।
 - रोज़गार की मौसमी और औपचारिक कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की कमी के कारण महामारी के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है।
- दूसरी लहर के प्रभाव पर अभी तक कोई सर्वेक्षण आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं जो नरिविवाद रूप से पहली की तुलना में अधिक गंभीर रहा है।
 - हालाँकि उपाख्यानानात्मक साक्ष्य बताते हैं कि विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण आय की हानि हुई है, जिसने कमज़ोर वर्ग को संकट में डाल दिया है।
 - इसके अलावा [भारत में कोविड -19 संकट](#), पहले से मौजूद उच्च और बढ़ती बेरोज़गारी की पृष्ठभूमि में आया है।
- असंगठित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों की नौकरियों के नुकसान, बढ़ती बेरोज़गारी, ऋणग्रस्तता, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा पर परिणामी प्रभाव एक लंबी अवधिक अपूरणीय क्षति डालने की क्षमता रखते हैं।

रपॉर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- श्रम मंत्रालय ने कोविड -19 के प्रभाव की वजह से [प्रवासी संकट](#) का प्रतुष्टितर देने में देरी की।
- महामारी ने श्रम बाज़ार को नष्ट कर दिया है, जसिने रोज़गार परदृश्य को प्रभावति कथि है और लाखों श्रमकों व उनके परिवारों के अस्ततिव को खतरा है।
- इस परदृश्य में समतिने सफ़ारशि की:
 - **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** कोविड-19 जैसी प्रतकूल परस्थितियों के दौरान अनौपचारिक श्रमकों के बैंक खातों में पैसा भेजना।
 - यह [पीएम-स्वनधि योजना](#) के तहत स्टरीट वेंडर्स को दथि गए ऋण को सीधे नकद अनुदान में परवितति करने का भी सुझाव देता है।
 - **यूनविरसल हेल्थकेयर:** [यूनविरसल हेल्थकेयर](#) को सरकार का कानूनी दायतिव बनाया जाना चाहथि। यह अनौपचारिक श्रमकों को अनविरय स्वास्थ्य बीमा द्वारा प्रदान कथि जा सकता है।
 - **मनरेगा सुधार:** [मनरेगा](#) के लथि बजटीय आवंटन बढ़ाया जाना चाहथि तथा मनरेगा की तरज़ पर एक शहरी रोज़गार गारंटी योजना लागू की जानी चाहथि।
 - यह मनरेगा के तहत गारंटीकृत काम के अधिकितम दनों को 100 दनों से बढ़ाकर 200 करने का सुझाव देता है।
 - **रोज़गार के अवसरों में वृद्धि:** पारंपरिक क्षेत्रों में नविश का लाभ उठाना, 'मेक इन इंडिया' मशिन को मज़बूत करना तथा वभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के प्रसार को तेज़ करने से आगे बढ़कर यह स्थानीय एवं अखलि भारतीय रोज़गार के अवसर प्रदान करेगा।

अनौपचारिक क्षेत्र का समर्थन करने के लथि पूर्व में की गई पहलें:

- [प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन \(PM-SYM\)](#)
- [श्रम सुधार](#)
- [प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोतसाहन योजना \(PMRPY\)](#)
- [PM स्वनधि: स्टरीट वेंडर्स के लथि सूक्ष्म ऋण योजना](#)
- [आत्मनरिभर भारत अभयान](#)
- [दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मशिन](#)
- [PM गरीब कल्याण अन्न योजना \(PMGKAY\)](#)
- [वन नेशन वन राशन कार्ड](#)
- [आत्मनरिभर भारत रोज़गार योजना](#)
- [प्रधानमंत्री कसिन सममान नधि](#)
- [भारत के अनौपचारिक श्रमिक वर्ग को वशिव बैंक की सहायता](#)

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमकों के कल्याण हेतु सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- **प्रवासी श्रमकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठति श्रमकों की पंजीकरण प्रक्रथि को पूरा करने का नरिदेश दथि है ताकथि वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत कल्याणकारी लाभों का लाभ उठा सकें।

अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमकों के कल्याण में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

- **प्रवासी श्रमकों का पंजीकरण:** सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को असंगठति श्रमकों की पंजीकरण प्रक्रथि को पूरा करने का नरिदेश दथि है ताकथि वभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत दथि जाने वाले कल्याणकारी लाभों का उपयोग कर सकें।
- **ONORC प्रणाली के आधार पर कार्य करना:** SC ने सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों (UT) को 31 जुलाई, 2021 तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का नरिदेश दथि।
 - यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम (NFSA) के तहत आने वाले प्रवासी मज़दूरों को देश के कसी भी हसिसे में अपने राशन कार्ड के साथ कसी भी उचति मूल्य की दुकान पर राशन प्राप्त करने की अनुमतति देती है।

आगे की राह

- श्रम मंत्रालय को PLFS को समय पर पूरा करने का मुद्दा सांख्यिकी और कार्यक्रम कारयानवयन मंत्रालय के समक्ष उठाना चाहथि।
- एक व्यापक योजना और रोडमैप की आवश्यकता है ताकथि महामारी से बहुत अधिक बगिड़ती रोज़गार की स्थति और संगठति क्षेत्र में नौकरी बाज़ार में बढ़ती असमानताओं को दूर कथि जा सके।
- असंगठति श्रमकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस वकिसति करने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा इस क्षेत्र को औपचारिक बनाना, इसकी उत्पादकता में वृद्धि करना, मौजूदा आजीविका को मज़बूत करना, नए अवसर पैदा करना और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मज़बूत करना, कोविड -19 के प्रभाव को कम करने हेतु प्रमुख कार्य हैं।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

